राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ1( )विद्या सम्बल/ आकाशि / गे.फै. / दिशा निर्देश / 21/81 दिनांक: 14/7/22

प्राचार्य / नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषयः–विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गैस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु।
संदर्भ:–वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के कम में लेख है कि विद्या संबल योजना शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत पदों में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य लेने की (Enabling Scheme) योजना है। इस योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व स्वीकृत पदों की सीमा के अन्तर्गत रिक्त पदों की सीमा तक कक्षा विशेष / विषय विशेष में enrolment की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार आंकलन करते हुये तथा स्वीकृत पदों की सीमा तक आवश्यकतानुसार विद्या संबल योजना में दी गई प्रकिया का पूर्ण पालना करते हुए ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020,2021 तथा 2022 में नवीन सृजित हुए है या ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे–

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2021 दिनांक 30.03 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में गेस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिंदु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।

2. ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त है में अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।

3. वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जायेगी।

4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यतायें पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाये।

5. स्थानान्तरण / नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमंत्रित शिक्षकों को आमंत्रित करने हेतु बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।

6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति हेतु मांग

की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

7. गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाया जाये उन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।

8. यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र **2022–23** हेतु ही है।

9. गत वर्ष विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत अध्यापन करवाने वाली ऐसी गैस्ट फैकल्टी जिन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश प्रदान करते हुये आदेशित किया है कि :–

" In the meanwhile respondants shall not engage any one else in place of the petitioners in 'Vidhya Sambal Yojna'", माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने तक माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जानी है।

10 विद्या संबंल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार करने हेतु पी.एच.डी. उपाधिधारकों के संबंध में निम्न प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जानी है:–

दिनाक 11.07.2009 से पूर्व एम.फिल/ पी.एच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थानों के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पी.एच.डी डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन महाविद्यालयो में सहायक आचार्य पद भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:–

(a) अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी.एच.डी प्रदान की गई हो।

(b) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(c) अभ्यर्थीका मुक्त मौखिक पीरक्षा आयोजित की गई हो।

(d) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये है जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हुये हो।

(e) अभ्यर्थी ने अपने पी.एच.डी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियो/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हो।

उपरोक्त (a) से लेकर (c) तक कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

11. विद्या संबंल योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है, विस्तृत दिशा निर्देश देकर आवेदन आमंत्रित करने है। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः विज्ञापन देने से पूर्व नोडल/जिला स्तरीय महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदन मंगवाकर विद्या संबंल का पैनल तैयार किया जाना है।

12. गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 (क) में वर्णित संस्था प्रधान, महाविद्यालय मे रिक्त चल रहे पदो के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रसारित कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जाने है।

(B) आवेदन पत्रो की जांच महाविद्यालयों स्तर/नोडल महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिये निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जावें।

(C) प्रत्येक संस्था हेतु योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाय, एवं प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य मे इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(G) किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष हेतु यदि कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर DRAC प्राचार्य जिले के महाविद्यालयों के तैयार पैनल में से शेष रहे अभ्यार्थियों में से वरीयता क्रम में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु कालांश आधारित गेस्ट फैकल्टी का आवंटन अपने स्तर से किया जाकर इसकी सूचना आयुक्तालय प्रेषित करें।

13. पैनल का अनुमोदन पूर्व की भांति संयुक्त निदेशक एच.आर.डी. की ई–मेल से ही किया जायेगा।

14. विभाग द्वारा विद्या संबंल हेतु गत वर्ष प्रदान शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

संलग्न –

1. वित्त विभाग का परिपत्र कमांक प.6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021
2. गेस्ट फैकल्टी से लिया जाने वाला शपथ पत्र।
3. पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड।
4. महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 कि संबंधित नियमों की प्रति।
5. प्रभारी अधिकारी,आई.टी. सैल कृपया अपलोड करें।

14.7.2022

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर